


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम व में ज
<p>19.3.24</p> <p>18/3/24</p> <p>तहसीलदार-माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बाद स्थिरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शांफ छिपे गये। विपक्षीगण को कितनी प्यार कर-कर कर धावाजै दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, वनके छिपे एक तरफ कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थियाका प्रां पत्र हरीकर दिया जाकर जिनपि प्रपक से लिखा जाकर 2000 प दिया गया। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से सही</p> <p style="text-align: right;">             074406 आधिकारी            माण्डल         </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या- 162/23 ज.प.प.

1- श्रीमती अण्डी लक्ष्मी माधू ललाई निवासी- गैधारा तहसील- माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती नानुदेवी लक्ष्मी पन्ना ललाई निवासी- माधू तहसील- माण्डल (लगेरा)  
(सिद्धकितापणग-रात्मंग)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19.3.24

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालडी खेड़ा..... पटवार हल्का गैधारा..... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 710/598, 711/598 कुल किता 02..... रकबा 2-2763..... हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.12.23..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालडी खेड़ा..... पटवार हल्का गैधारा..... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 710/598, 711/598 कुल किता 02..... रकबा 2-2763..... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक लुहरिया..... को 1000/- रूपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल